भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान पत्रिका
वर्ष 30 अंक (2) दिसम्बर 2022 पृ. 103-108
DOI: 10.56042/bvaap.v28i2.67229

समाज पर एचआईवी/एड्स का प्रभाव : एक समीक्षा

विजय लक्ष्मी, बी एल गर्ग एवं आलोक कुमार गोयल
सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान् (निस्पर)
एकेडमी ऑफ़ साइंटिफिक एंड एनोवेटिव रिसर्च (ए.सी.एस.आई.आर), ग़ाज़ियाबाद
इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी

सारांश

इस शोध पत्र के द्वारा यह चर्चा की जाएगी कि एचआईवी/एड्स का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा इससे हमारे समाज में किस प्रकार के बदलाव आते हैं। एचआईवी/एड्स जानलेवा बीमारी है, जिसका अभी तक कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। इसका एकमात्र बचाव ही इलाज है। इस बीमारी की वजह से समाज किस प्रकार प्रभावित हो रहा है, तथा समाज के बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और गरीबों पर इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। इस बीमारी का प्रभाव इस प्रकार होता है सार्वजानिक और निजी उद्यमों खासा प्रभाव पड़ता है। पर भारी लागत देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। परिणामतः इससे समाज की उत्पादकता में कमी आती है, तथा कुशल और अनुभवी श्रमिकों को खोना पड़ता है तथा औधोगिक क्षेत्र में कर्मचारियों के इलाज पर व्याय बढ़ता जाता है जैसे-जैसे सार्वजनिक सेवाओं के लिए मांग बढ़ती है। जैसा कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं उप-सहारा अफ्रीकी जैसे देशों के प्रभावित क्षेत्रों में इसके गंभीर दुष्परिणाम देखे गये हैं, जिससे वस्तुतः वहां का प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावित हुआ। इसका श्रम बल के सर्वाधिक उत्पादी क्षेत्र पर अधिकतम प्रभाव दिखा है। उच्च एचआईवी विद्यमान दरों वाले देशों में, श्रम आपूर्ति में कटौती हुई है और कामगारों की आय घटी है जिससे उद्यमों के निष्पादन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस दिशा में यह शोध पत्र सरकार की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय योजनाएं पर आधारित है जोकि समाज के लिए लाभदायक हैं।

Impact of HIV/AIDS on society : A review

Vijay Laxmi, B L Garg & Alok kumar Goel
CSIR- National Institute of Science Communication and Policy Research (NIScPR)
Academy of Scientific and Innovative Research (AcSIR), Ghaziabad
Indian National Science Academy

Abstract

The purpose of this study is to demonstrate what the effects on our society are when a person gets affected by HIV/AIDS and what kind of changes come in our society. HIV/AIDS is a deadly disease for which no cure is available yet. Prevention is the only cure of HIV/AIDS. How the society is being affected due to this disease and what are the ill effects of it on the elderly, women, children and the poor of the society. As a result, it reduces the productivity of the society, losses skilled and experienced workers and increases the expenditure on the treatment of the affected workers in the industrial sector as the demand for public sector increases, as the national economies of countries like sub-saharan Africa have seen its servere consequences, it has affected virtually every region there. It has shown maximum impact on the most productive sector i.e. labour force. In countries with high HIV prevalence rates, labour supply has been cut and workers incomes have declined, adversely affecting the performance of enterprises and the national economy. In this direction, this paper is based on the national and international schemes of the government that which scheme is beneficial for the society.

प्रस्तावना

सन् 1986 में चेन्नई में डॉ. सुनीति सोलोमन ने एक महिला यौनकर्मी में एड्स के वायरस की पहचान की इसे भारत में एड्स का पहला मामला माना जाता है, लेकिन उसके बाद से एड्स का संकट एक महामारी के तौर पर लगातार बढ़ता जा रहा है। एड्स से ग्रस्त होने वाले व्यक्ति और उसके परिवार पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। एड्स के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम यूएन एड्स के मुताबिक भारत में करीब 37 लाख लोग एड्स से पीड़ित हैं, जो दुनिया में नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एड्स के मामले महिलाओं से अधिक पुरुषों में देखे जाते हैं। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि एड्स के 80% से ज्यादा मामले 15-39 आयु वर्ग के लोगों के बीच में हैं। यानी कि समाज का सबसे अधिक क्रियाशील और कामगार तबका इसकी चपेट में है।

यूएन एड्स के मुताबिक भारत में सिर्फ 36% लोगों को ही एड्स का उपचार मिल पाता है। बाकी 64% लोगों को इसका उपचार मिल ही नहीं पाता है। कुछ हद तक संतोष की बात यह है कि यूएनएड्स की रिपोर्ट के अनुसार, 2005 से 2013 के बीच एड्स से हुई मौतों की संख्या में करीब 38% की गिरावट आई है। इसकी वजह उपचार के साधनों का विस्तार माना जाता है। एड्स के मामले अधिकतर पूर्वोत्तर के राज्यों और दक्षिण के राज्यों में हैं। ऐसे ही बिहार और मध्य प्रदेश में भी एड्स पीड़ितों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। यौन कर्मियों में भी एड्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी संख्या करीब 8,68,000 बताई जाती है जिसमें से लगभग 2.8% एड्स से पीड़ित हैं।

भारत में एड्स की प्रमुख वजह है, प्रवासी श्रमिक और दूसरे देशों में जाने वाले नौकरी पेशा लोग, असुरक्षित यौन संबंध तथा असुरक्षित रक्तदान। भारत जैसे देश में जहां कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी बड़ी चुनौती हैं वहां एड्स के निदान से महत्वपूर्ण इसकी रोकथाम है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बजट का करीब पांच प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जा रहा है। यदि नैको के आंकड़े देखें तो प्राथमिक उपचार से लेकर सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट तक एक मरीज के उपचार में करीब 6,500 से लेकर 28,500 का खर्च आता है। इस लिहाजा एड्स का इलाज काफी महंगा है। हालांकि हाल ही के वर्षों में देखा जाये तो भारत में स्थानीय स्तर पर जेनेरिक दवाओं के उत्पादन से भी एड्स की रोकथाम में व्यापक सफलता मिली है।

एड्स की बीमारी और उसके रोकथाम के अलावा इसका सबसे दर्दनाक पक्ष है- एड्स से पीड़ित व्यक्ति को अछूत समझा जाना, सामाजिक भेदभाव का शिकार होना, तथा स्कूल-कॉलेज से या नौकरी-पेशा से निष्काशित किया जाना इत्यादि। इस सभी सामाजिक, अकादमिक एवं औद्योगिक स्तर पर शोषण, अत्याचार, भेदभाव एवं अनैतिक व्यवहार के अलावे भी पारिवारिक प्रताड़ना के मामले सामने आते रहे हैं। इसके लिये उपचार और रोकथाम के साथ-साथ एड्स पीड़ित के मानवाधिकार की रक्षा करना भी जरूरी है, जिसके लिए समाज में जागरूकता लाकर समाज की नजरिया बदलना ही होगा।

अतः सरकार को उपरोक्त पक्षों को ध्यान में रखते हुए जागरूकता अभियान, गाँव एवं शहरों के मुख्य जगहों पर विज्ञापन को प्रकाशित करवाना चाहिए। इसके साथ साथ सोशल मीडिया, टेलीविज़न तथा स्कूल-कालेजों के पाठयक्रम में एचआईवी एड्स के दुष्परिणाम एवं रोकथाम तथा इसके पीड़ितों के प्रति अपनी तथा सामाजिक ज़िम्मेदारी से सम्बन्धित उचित जानकारी एवं शिक्षा प्रेषित किया जाना चाहिए।

एचआईवी से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी

एचआईवी वायरस से बचाव करना ही एड्स का एकमात्र इलाज है। एचआईवी वायरस के लिए अब तक कोई दवा या वैक्सीन नहीं खोजी जा सकी है। दरअसल इसका वायरस व्यक्ति की डीएनए कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, और क्रमशः ध्ीरे-धीरे यह उस व्यक्ति के डीएनए कोशिकाओं के साथ एक मज़बूत संबंध बना लेता है जिसके बाद फिर कोई दवा या वैक्सीन काम नहीं करती। साइंटिस्ट और डॉक्टर एचआईवी/एड्स की इलाज खोजने के लिए निरंतर शोध कर रहे हैं।

एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्ति के लिए यह कहा जाता है कि वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा, लेकिन आज मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है तथा उसने यह तरीक़ा खोज निकाला है। यदपि की एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी के द्वारा व्यक्ति के शरीर से एचआईवी के वायरस तो बाहर नहीं निकाला जा सकता, तथापि उसके जीवन जीने की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार वह पीड़ित व्यक्ति इस वायरस के साथ भी एक लंबी एवं आम जिंदगी जी सकता है।

यदि एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति को कोई थिरेपी न दी जाती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति की शरीर में कई और गंभीर बीमारियाँ एवं समस्याओं जन्म ले सकता है जिनमें से एक महत्वपूर्ण समस्या का नाम एड्स है। हर वो एक व्यक्ति जिसे एचआईवी है, उसे

एड्स होगा यह ज़रूरी नहीं है। यदि एचआईवी के लिए समय-समय पर थिरेपी दी जा रही है तो ऐसे में व्यक्ति एड्स से बच सकता है। एचआईवी से संक्रमित होने के बाद किसी भी तरह की कोई थिरेपी या मेडिकल चिकित्सा न लेने पर व्यक्ति को एड्स हो जाता है जिसके बाद व्यक्ति मात्र 2-3 सालों तक ही जीवित रह सकता है।

एक शोध में इस बात का खुलासा किया गया है कि अमेरिका में मौजूद लगभग 12 लाख लोग अभी के मौजूदा हाल में एचआईवी से संक्रमित हैं। इनमें से हर 7 में से एक व्यक्ति को यह तक नहीं पता कि वह इस तरह के किसी वायरस से संक्रमित भी है।

एड्स से संबन्धित महत्वपूर्ण जानकारी

एड्स का पूरा नाम 'एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम' है और यह एक तरह के विषाणु जिसका नाम एचआईवी है, जिससे एड्स जैसी जटिल संक्रामक स्थिति उत्पन्न होती है। एड्स एक प्रकार की बीमारी है, जिसमें व्यक्ति के शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में CD4 सेल्स या कोशिकाएं कम होना शुरू हो जाती हैं। शोध के अनुसार इस बात का खुलासा किया गया है कि एक स्वस्थ वयस्क के शरीर में लगभग 500-1600 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर CD4 कोशिकाएं पाई जाती हैं। एचआईवी पीड़ित ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में CD4 कोशिकाओं का स्तर 200 प्रति क्यूबिक मिलिमीटर हो जाता है तो उसे एड्स से पीड़ित माना जाता है।

एड्स का कारण सिर्फ़ एचआईवी ही नहीं होता, बल्कि कई अन्य बीमारियों की वजह से एड्स की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जाए तो एड्स एक प्रकार की स्थिति है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित है, तो उसके शरीर में भी एड्स हो सकता है, अर्थात् उसका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो सकता है, लेकिन यह एक दुर्लभ स्थिति होती है।

आज के समय में एड्स का कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है और यदि एड्स का पता न चले या किसी प्रकार की कोई मेडिकल थिरेपी न दी जाए तो ऐसे में व्यक्ति आयुसीमा मात्र 2-3 साल से अधिक नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कैंसर या कोई और जानलेवा बीमारी हो जाती है तो ऐसे में यह अवधि और अधिक घट जाती है। एड्स का इलाज उपलब्ध न होने के बावजूद भी कुछ एंटी-रेट्रोवायरल दवाएं हैं जो एड्स को और घातक होने से रोकती हैं। इस प्रकार जीवन सीमा को बढ़ाया जा सकता है।

एड्स से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में निम्नलिखित बीमारियों के होने के अवसर बढ़ जाते हैंः

- *न्यूमोनिया*
- *ट्यूबरकुलोसिस या टीबी*
- *कैंसर*
- *क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस* (आंतों में पाए जाने वाले एक परजीवी के कारण होने वाली समस्या)
- *टोक्सोप्लाज्मोसिस* (मस्तिष्क से सम्बंधित समस्या जो एक परजीवी के कारण होती है)
- *क्रिप्टोकोकस मेनिनजाइटिस* (मस्तिष्क को होने वाला एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन)
- *ओरल थ्रस* (मुँह और गले में होने वाला एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन)

भारत एचआईवी/एड्स उन्मूलन की दिशा में लगातार कठिन प्रयास कर रहा है। एड्स नामक इस भयानक बीमारी ने देश की एक बड़ी आबादी को अपने प्रभाव में जकड़ रखा है। एचआईवी से संबंधित मामलों को पूर्ण रूप से ख़त्म किए जाने के प्रयास किये जा रहे हैं एवं पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इस प्रयास में अंशतः सफलता भी पाई है। भारत को पूर्णतः एड्स मुक्त होने में अभी काफी समय लगेगा, क्योंकि अभी भी देश में 15 से 49 वर्ष की उम्र के बीच के लगभग 25 लाख लोग एड्स से प्रभावित हैं। यह आंकड़ा विश्व में एड्स प्रभावित लोगों की सूची में तीसरे स्थान पर आता है।

एचआईवी आकलन 2012 के अनुसार भारतीय युवाओं में वार्षिक आधार पर एड्स के नए मामलों में 57% की कमी आई है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत किये गए एड्स के रोकथाम संबंधी विभिन्न उपायों एवं नीतियों का ही यह प्रभाव था कि 2000 में एड्स प्रभावित लोगों की जो संख्या 2.74 लाख थी, वह 2011 में घटकर 1.16 लाख हो गई। 2001 में एड्स प्रभावित लोगों में 0.41% युवा थे, जो प्रतिशत 2011 में घटकर 0.27 का हो गया। 2000 में एड्स प्रभावित लोगों की संख्या लगभग 24.1 लाख थी, जो 2011 में घटकर 20.9 लाख रह गई। एंटी रेट्रोवायरल थिरेपी (एआरटी) के प्रयोग में आने के बाद एड्स से मरने वालों की संख्या में कमी आई। 2007 से 2011 के बीच एड्स से मरने वाले लोगों की संख्या में वार्षिक आधार पर 29% की कमी आई। ऐसा अनुमान है कि 2011 तक लगभग 1.5

लाख लोगों को एंटी रेट्रोवायरल थिरेपी (एआरटी) की मदद से बचाया जा चुका है।

भारत ने एचआईवी संबंधी आंकड़े देने वाले इन व्यापक स्रोतों का इस्तेमाल एड्स संबंधी कार्यक्रमों के निर्धारण में किया है, ताकि एचआईवी की रोकथाम एवं इसके उपचार के उपायों से होने वाले प्रभावों की जानकारी प्राप्त की जा सके। एचआईवी/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (यूएनएड्स) के अनुमान यह दिखाते हैं कि पूरा विश्व एचआईवी संक्रमण को फैलने से रोकने का प्रयास कर रहा है ताकि इस महामारी को जड़ से मिटाया जा सके। विगत दस वर्षों में इस दिशा में सराहनीय प्रयास किये गए हैं, फिर भी आज हमारे सामने यह एक विकट समस्या है।

एड्स और एचआईवी में अंतर

एचआईवी एक अतिसूक्षम रोग विषाणु है, जिसकी वजह से एड्स हो सकता है। एड्स स्वयं में कोई रोग नहीं है, बल्कि एक संलक्षण है। यह मनुष्य की अन्य रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। प्रतिरोधक क्षमता के क्रमशः कम होने से कोई भी अवसरवादी संक्रमण, जैसे कि सर्दी जुकाम से लेकर फुफुस, प्रदाह, टीबी, क्षय रोग, कर्क रोग जैसे रोग तक सहजता से हो जाते हैं, और उनका इलाज करना कठिन हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मरीज़ की मृत्यु भी हो सकती है। यही कारण है कि एड्स परीक्षण महत्वपूर्ण है। सिर्फ एड्स परीक्षण से ही निश्चित रूप से इस संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। एड्स एक प्रकार का संक्रामक ही है यह एक से दुसरे को और दुसरे से तीसरे को होने वाली एक गंभीर बीमारी है। यदि कोई व्यक्ति एचआईवी से पीड़ित है तो ये जरुरी नहीं की उसको एड्स भी है। एचआईवी वायरस की वजह से एड्स होता है, अगर समय रहते वायरस का इलाज़कर दिया गया तो एड्स होने का खतरा कम हो जाता है।

एड्स ग्रस्त लोगों के प्रति व्यवहार

एड्स का एक बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि समाज को भी संदेह और भय का रोग लग जाता है। यौन विषयों पर बात करना हमारे समाज में वर्जना का विषय रहा है। निःसंदेह शतुरमुर्ग की भांति इस संवेदनशील मसले पर रेत में सर गाड़े रख अनजान बने रहना कोई हल नहीं है, बल्कि इस समस्या का निदान इसी में है कि एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्ति के प्रति सामाजिक एवं नैतिक समर्थन एवं सहयोग इस प्रकार बना कर रखे कि वह व्यक्ति भी समाज एवं परिवार से जुड़ा महसूस करे। इस भयावह स्थिति से निपटने का एक महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक बदलाव लाना भी है। एड्स पर प्रस्तावित विधेयक को अगर भारतीय संसद कानून की शक्ल दे सके तो यह भारत ही नहीं विश्व के लिये भी एड्स के खिलाफ छिड़ी जंग में महती सामरिक कदम सिद्ध होगा।

वैश्विक स्तर पर एचआईवी/एड्स

इस महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक लगभग 70 मिलियन से अधिक लोग एचआईवी वायरस से संक्रमित हो गए हैं, और इसके कारण लगभग 35 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है। एचआईवी निरोधक सेवाएं न मिलने के कारण वर्ष 2018 में लगभग 7,70,000 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 1.7 मिलियन लोग संक्रमित हुए। ध्यातव्य है कि अफ्रीकी देश एचआईवी से सबसे अधिक प्रभावित है और वहां प्रत्येक 25 में से एक 1 व्यस्क एचआईवी से संक्रमित है।

हालांकि बीते कुछ वर्षों में इस संदर्भ में किये गए प्रयासों के कारण वैश्विक स्तर पर एचआईवी/एड्ससे लड़ने में काफी मदद मिली है, और एचआईवी संक्रमण को वर्ष 2000 से वर्ष 2018 के बीच 37 प्रतिशत तक कम किया जा सका है। एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) के कारण 13.6 मिलियन लोगों की जान बचाई जा सकी है और साथ ही एचआईवी/एड्स से संबंधित मृत्यु के आंकड़ों में 45 प्रतिशत की गिरावट आई है।

बीते कुछ समय में इस संबंध में कुछ प्रभावी दवाओं की खोज भी की गई है। UNAIDS की हालिया रिपोर्ट के अनुसार एचआईवी/ एड्स से प्रभावित लगभग 38 मिलियन में से 24 मिलियन लोग ART प्राप्त कर रहे हैं जो कि 9 वर्ष पहले सिर्फ 7 मिलियन थे।

भारत में एचआईवी/एड्स

एचआईवी/एड्स के संदर्भ में भारत की स्थिति काफी सकारात्मक है, परंतु फिर भी देश में निरंतर सतर्कता और प्रतिबद्ध कार्रवाई की आवश्यकता है। विदित हो कि भारत में एचआईवी का पहला मामला वर्ष 1986 में सामने आया था। इसके बाद यह वायरस पूरे देश में तेज़ी से फैला और 135 अन्य मामले सामने आए, जिनमें से 14 पहले ही एड्स से प्रभावित हो चुके थे।

वर्तमान समय में प्रत्येक 10000 व्यक्तियों में से 22 व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित हैं, जबकि वर्ष 2001-03 के बीच यह संख्या 38 के आस-पास थी। भारत में तकरीबन 21.40 लाख लोग एचआईवी/एड्स से संक्रमित हैं और देश में हर साल एचआईवी संक्रमण के तकरीबन 87,000 मामले दर्ज किये जाते हैं। साथ ही देश में एड्स के कारण सालाना 69,000 लोगों की

मृत्यु होती है। एचआईवी/एड्स से प्रभावित कुल लोगों में तकरीबन 8.79 लाख महिलाएं हैं।

मिज़ोरम में एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या सबसे अधिक है और यहां प्रत्येक 10000 व्यक्तियों में से 204 व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित हैं।

रोकथाम के प्रयास

1. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP)

वर्ष 1986 में एचआईवी संक्रमण के पहले मामले की रिपोर्ट करने के कुछ समय बाद ही भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP) की स्थापना की, जो अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एड्स विभाग बनाया गया है।

2. UNAIDS

UNAIDS नए एचआईवी संक्रमणों को रोकने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसके अलावा UNAIDS यह भी सुनिश्चित करता है कि एचआईवी से संक्रमित सभी लोगों की एचआईवी उपचार तक पहुँच प्राप्त हो। UNAIDS यह भी सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है कि वर्ष 2020 तक लगभग 30 मिलियन लोगों को इलाज की सुविधा प्राप्त हो सके। इस कार्य हेतु UNAIDS द्वारा 90.90.90 लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य के अनुसार, वर्ष 2030 तक यह सुनिश्चित किया जाना है कि 90 प्रतिशत लोग अपनी एचआईवी स्थिति जान सकें, पॉजिटिव एचआईवी वाले 90 प्रतिशत लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकें और इलाज तक पहुंच प्राप्त हो तथा 90 प्रतिशत लोगों में से एचआईवी वायरस के दबाव को कम किया जा सके।

3. SDG 3.3

सन् 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा अपनाए गए लगतार विकास लक्ष्यों में भी वर्ष 2030 तक एड्स, तपेदिक और मलेरिया महामारियों को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

4. एचआईवी और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017

सितंबर 2018 से लागू यह कानून देश में एचआईवी और एड्स के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने का प्रयास करता है। साथ ही यह अधिनियम एचआईवी और एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने का कार्य भी करता है। इस अधिनियम में ऐसे व्यक्तियों के उपचार के संबंध में गोपनीयता प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें एचआईवी और एड्स से संबंधित शिकायतों के निवारण तंत्र का भी प्रावधान है।

चुनौतियाँ

एड्स के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में पिछले 20 वर्षों में बहुत सफलता हासिल की गई है, परंतु हाल के कुछ वर्षों में यह प्रगति धीमी होती दिखाई दे रही है। आँकड़ों के अनुसार, 2018 के अंत तक एचआईवी से संक्रमित सभी व्यक्तियों में से 79 प्रतिशत को ही इस तथ्य के बारे में पता था, और 62 प्रतिशत तक ही उपचार सेवाएँ पहुँच पाई थीं और उसमें से केवल 53 प्रतिशत संक्रमित लोगों के वायरस के दबाव को कम किया जा सका था। ऐसे में 90.90.90 लक्ष्यों की प्राप्ति मुश्किल दिखाई दे रही है।

अध्ययन के अनुसार, विश्व में केवल 19 देश ऐसे हैं जो वर्ष 2030 तक एड्स, तपेदिक और मलेरिया महामारियों को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भारत में हम आज भी एचआईवी/एड्स से जुड़े सामाजिक भेदभाव को समाप्त नहीं कर पाए हैं। अफसोस अब तक एचआईवी/एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियों की मुख्यधारा में एकीकृत नहीं किया जा सका है।

विवेचना

भारतीय समाज में एचआईवी/एड्स से जुड़ी मानसिकता को बदलना शायद नीति निर्माताओं के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी चुनौती है, और इससे जल्द-से-जल्द निपटा जाना आवश्यक है। संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण के साथ-साथ संक्रमित व्यक्ति की देखभाल और उसे अभिप्रेरित करने पर भी ज़ोर दिया जाना चाहिये। अतः सरकार को उपरोक्त पक्षों को ध्यान में रखते हुए जागरूकता अभियान चलाते हुए गाँव एवं शहरों के मुख्य जगहों पर विज्ञापन को प्रकाशित करवाना चाहिए। इसके साथ-साथ सोशल मीडिया, टेलीविज़न तथा स्कूल-कॉलेजों के पाठयक्रम में एचआईवी/एड्स के दुष्परिणाम एवं रोकथाम तथा इसके पीड़ितों के प्रति अपनी तथा सामाजिक ज़िम्मेदारी से सम्बन्धित उचित जानकारी एवं शिक्षा प्रेषित किया जाना चाहिए।

संदर्भ

1. एचआईवी/एड्स सभ्य कार्य, उत्पादकता और विकास के लिए एक कला. (2000). जिनेवा, 16. (2000). रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए केंद्र HIV/AIDS-India : surveillance.

2. रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए केंद्र. (2021). स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग, 5-6.

3. UNAIDS. (2013). UNAIDS -Report.

4. अल, स. ई. (1999). तमिलनाडु में वेश्याओं में HTLV-III संक्रमण के साक्ष्य. गूगलशास्त्री, 7.

5. जिनेवा.(2000). एचआईवी/ एड्स और विश्व स्वास्थ्य संगठनों पर संयुक्त संयुक्तराष्ट्र कार्यक्रम. *एड्स महामारी अद्यत*, 2-5. यूएनएड्स. (2020). प्रतिवेदन.

6. स्टीव, स. (2005). एचआईवी निशान भारत. *संयुक्तराज्य अमेरिका आज*, 4-5.

7. (विश्व स्वास्थ्य संगठन एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी को बढ़ा रहा है, 2006)

8. (2001). एचआईवी/ एड्स पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा प्रतिबद्धता संयुक्त राष्ट्र महासभा एचआईवी/एड्स पर विशेष सत्र - USA : संयुक्तराष्ट्र. (2004). राष्ट्रीय एड्स युवा लोगों के लिए महत्वपूर्ण एचआईवी/एड्स रोकथाम कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए संकेतकों के लिए एक गाइड कार्यक्रम करता है। जिनेवाः WHO -(2005). प्रजनन स्वास्थ्य और एचआईवी की रोकथाम में भागीदार. फैमिली हेल्थ इंटरनेशनल. (2005). महामारी अद्यतन. New york : UNAIDS. विश्वस्वास्थ्य संगठन एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी को बढ़ा रहा है. (2006). सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण, 5-8. (2020). एड्स महामारी अद्यतन. यूएनएड्स, डब्ल्यूएचओ. (2020). युवा लोग और एचआईवी/एड्स. New yprk : UNICEF, UNAIDS ए, ल. प. (1996). मानव इम्युनोडेफिशिएं सीवायरस और उनकी प्रतिकृति. न्यूयॉर्कः फिलाडेल्फियालिपिंकॉटरेवेन. जिनेवा. (2000). एचआईवी/एड्स और विश्वस्वास्थ्य संगठनों पर संयुक्त संयुक्तराष्ट्र कार्यक्रम. एड्स महामारी अद्यत, 2-5. शार्प पीएम, ह. ब. (2011). एचआईवी और एड्स महामारी की उत्पत्ति. कोल्डस्प्रिंग हर्बपर्सपेक्ट, 34.